भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 633

बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन</u>

633. श्री दिलीप शइकीयाः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्रीमती बिजुली कलिता मेधीः
श्री गोडम नागेशः
श्रीमती अपराजिता सारंगीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर-पूर्व क्षेत्र और राजस्थान सहित देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कितने समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं और उनमें अनुमानित लागत (मूल्य) कितनी है तथा रोजगार और विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) उत्तर-पूर्व क्षेत्र और राजस्थान के लिए, विशेषकर निर्धारित सरकार की वार्षिक योजना निधि का प्रतिशत कितना है और प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र/राज्य के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता की राशि में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) उत्तर-पूर्व क्षेत्र में हाल ही में चालू की गई या विकासधीन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सूर्य मित्र, वरूण मित्र और जल ऊर्जा मित्र जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत उक्त क्षेत्र में प्रशिक्षित लोगों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) वर्तमान में, अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ निजी क्षेत्र के डेवलपर्स द्वारा स्थापित की जा रही हैं। तथापि, मंत्रालय ने आवासीय क्षेत्र में ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सौर प्रणालियों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के अंतर्गत 32 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

सरकार ने रोज़गार सृजन पर कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है। तथापि, जुलाई 2019 में ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (सीईईडब्ल्यू) द्वारा किए गए "ग्रीन ऊर्जा से रोज़गार वृद्धि को बल" नामक अध्ययन के अनुसार, रूफटॉप क्षेत्र में लगभग 9.89 लाख व्यक्ति कार्यरत होने का अनुमान है।

(ख) मंत्रालय द्वारा निधियों का राज्य-वार वार्षिक आवंटन नहीं किया जाता है और केंद्रीय वित्तीय सहायता संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार जारी की जाती है।

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, मंत्रालय के वार्षिक सकल बजटीय आवंटन का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के विकास के लिए निर्धारित किया गया है।

वर्ष 2024-25 के दौरान, मंत्रालय का कुल बजट आवंटन (संशोधित अनुमान) 17,298.44 करोड़ रुपये था, जिसमें से 11,100 करोड़ रुपये पीएम-एसजीएमबीवाई के लिए और 2525 करोड़ रुपये पीएम-कुसुम के लिए आवंटित किए गए थे। वर्ष 2025-26 के दौरान, मंत्रालय का कुल बजट आवंटन (बीई) 26,549.38 करोड़ रुपये है, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन पीएम-एसजीएमबीवाई के लिए और 2600 करोड़ रुपये पीएम-कुसुम के लिए हैं ।

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में चालू की गई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ) जून, 2025 तक सूर्यमित्र कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 63713 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, वरुणमित्र कार्यक्रम के अंतर्गत 1276 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, वायुमित्र कार्यक्रम के अंतर्गत 2160 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है तथा जलऊर्जामित्र कार्यक्रम के अंतर्गत 601 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पीएम-एसजीएमबीवाई के तहत 1.14 लाख व्यक्तियों को रूफटॉप स्थापना में प्रशिक्षित किया गया है।

<u>अनुलग्नक</u>

दिनांक 23.07.2025 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 633 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चालू और विकासाधीन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विवरण

(1) सौर ऊर्जा और लघु जल विद्युत

क्र. सं.	राज्य	सौर ऊर्जा क्षमता चालू* (मेगावाट)	लघु जल विद्युत क्षमता चालू (मेगावाट)
1	अरुणाचल प्रदेश	14.85	140.61
2	असम	243.34	34.11
3	मणिपुर	13.79	5.45
4	मेघालय	4.28	55.03
5	मिजोरम	30.39	45.47
6	नगालैंड	3.17	32.67
7	सिक्किम	7.56	55.11
8	त्रिपुरा	21.71	16.01
	कुल	**339.09**	**384.46**

**पीएम-एसजीएमबीवाई और पीएम-कुसुम के तहत शुरू की गई क्षमताएं शामिल हैं*

(2) पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

क्र. सं.	राज्य	प्रस्तुत आवेदनों की संख्या (20.7.2025 तक)	शामिल किए गए परिवारों की संख्या (20.7.2025 तक)
1	अरुणाचल प्रदेश	3,65,249	25,988
2	असम	118	0
3	मणिपुर	1,153	409
4	मेघालय	2,377	21
5	मिजोरम	1,002	394
6	नगालैंड	554	26
7	सिक्किम	93	9
8	त्रिपुरा	6,229	584
	कुल	**3,76,775**	**27,431**

(3) पीएम-कुसुम:

क्र. सं.	राज्य	घटक-क (मेगावाट)		घटक-ख (संख्या)		घटक-ग (संख्या)	
		स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत (IPS)	स्थापित
1	अरुणाचल प्रदेश	0	0	700	577	0	0
2	असम	2	0	4,000	0	0	0
3	मणिपुर	0	0	1,150	78	0	0
4	मेघालय	0	0	3,035	98	0	0
5	मिजोरम	0	0	1,700	40	0	0
6	नगालैंड	0	0	265	65	0	0
7	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
8	त्रिपुरा	5	0	10,895	4,971	3,600	285
	कुल	**7**	**0**	**21,745**	**5,829**	**3,600**	**285**

*****